Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[Service Appeal No.-08/2025]
Rajesh Kumar Singh.....Appellants.
Versus
The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	08.4.2026	**आदेश** यह अपील वाद जिला पदाधिकारी, अररिया के आदेश ज्ञापांक-680/स्था. दिनांक-12.8.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। दिनांक-19.3.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। अपीलार्थी द्वारा Written Note of Argument दाखिल है। जिला पदाधिकारी, अररिया के आदेश ज्ञापांक-680/स्था. दिनांक-12.8.2025 के द्वारा अपीलार्थी श्री राजेश कुमार सिंह, निलंबित लिपिक, अंचल कार्यालय, अररिया के विरूद्ध जिला अररिया के मौजा-बसंतपुर थाना नं.-206 खाता सं.-1826 खेसरा सं.-9965, रकवा-96 डी. भूमि जो पूर्व से अनुमंडल कृषि कार्यालय, अररिया के द्वारा अर्जित भूमि 51.69 एकड़ के अंतर्गत की है का तथ्य छुपाकर गलत ढ़ंग से मापी कराने एवं किसी निजी व्यक्ति को दखल-कब्जा दिलाने संबंधी आरोप के प्रमाणित पाये जाने के उपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम वृहद शास्तियाँ की कंडिका 14 (VIII) के (खण्ड-IV) के अंतर्गत 03 (तीन) वर्षों के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति संबंधी दण्ड अधिरोपित किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी अंचल कार्यालय, अररिया में उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर कार्यरत थे। उनका कहना है कि उनके विरूद्ध अंचल अधिकारी, अररिया के पत्रांक-1756 दिनांक-24.9.2024 को कुल 03 आरोप लगाया गया, जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के द्वारा बिना विचार किये ही प्रपत्र-क गठित कर जिला पदाधिकारी, अररिया के समक्ष भेज दिया गया। तथा यह कि उनके पक्ष पर विचार किये बिना ही बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण अधिनियम-2005 की धारा-9 का हवाला देते हुए उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, अररिया को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया। उनका यह भी कहना है कि उनके द्वारा समर्पित कारण पृच्छा/स्पष्टीकरण पर किसी भी स्तर से विचार किये बिना ही एकतरफा आदेश पारित किया गया है। जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी के स्तर से जिला पदाधिकारी, अररिया के अपीलाधीन आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत मामले में अपीलार्थी के विरूद्ध चलाये गये विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी-सह-जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार-सह-जिला पदाधिकारी, अररिया के द्वारा अपीलार्थी पर नियमानुसार दंड अधिरोपित किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा वाद पत्र में उनके पक्ष/स्पष्टीकरण पर विचार किये बिना एवं निम्न स्तर से प्रमाणित आरोपों के बेबुनियाद होने का उल्लेख किया गया है। परन्तु इस संबंध में उनके स्तर से कोई संगत साक्ष्य/तथ्य उपस्थापित नहीं किया	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

	0[illegible]4.2026	जा सका है। अपीलार्थी की ओर से सुनवाई में प्रमाणित आरोपों को Negate करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध पदीय कदाचार का आरोप प्रमाणित होता है। वर्त्तमान सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अनुशासनिक प्राधिकार (निम्न न्यायालय) के स्तर से प्रमाणित आरोपों के सापेक्ष संगत तथ्यों एवं साक्ष्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर नियमानुसार एवं यथोचित दण्ड अधिरोपित किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ संबंधित पदाधिकारी को भेजें। Braje K. 08/4/26. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। Braje K. आयुक्त, 08/4/26. पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	